

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए।</p>
<p>जवाब देना नहीं चाहते हैं</p>	<p>दिल्ली (डिस) रिपोर्ट एवं न्याय अधीन                  उल्लेख-1 कार्यवाही दिनांक 26.09.2025 को                  पेश है।</p> <p>सहायक जिलाधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी, साचौर)</p> <p>26.09.2025 प्रावली पेश हुई। अधिनियम अन्तर्गत                  पक्ष आदि। अधिनियम अन्तर्गत जवाब पेश                  नहीं करना चाहते हैं। अतः जवाब अन्तर्गत                  बंद किया जाता है। बरत अधिनियम अन्तर्गत                  सुनी गई। अधिनियम अधिनियम के निवेदन                  किया कि एक सार्वजनिक वार्ड संख्या-03/2                  धरणी देवी बनाम कासबा वगैरह का प्रस्ताव                  जाखल के ख. सं. 1474, 1475, 1476,                  1477, 1478, 1496, 1496, 1715, 1502,                  1508, 1509, 1516, 1518, 1519, 1529, 1530                  कुल रकबा 9.52 हेमरेप व खाली संख्या-                  419, 42, 447, 478, 491 कुल रकबा                  2.9, हेमरेप ख. सं-514 रकबा 1.30 हे,                  बाबत अन्तर्गत धारा 53, 192 R.O. न्त का                  प्रस्तुत किया गया था जिसमें हद अधिनियम                  को भी प्रतिबन्धी के तौर पर घोषित                  किया गया था, लेकिन हद अधिनियम का                  अधिनियम हद अधिनियम को आज दिन तक                  नहीं मिला, इसके अन्तर्गत भी हद अधिनियम                  के अधिनियम अन्तर्गत प्रावली दिनांक 22.4.                  2025 की गई तथा इसी दिन अधिनियम                  अधिनियम व अधिनियम जारी कर अधिनियम                  अधिनियम अधिनियम व अधिनियम अधिनियम                  व अधिनियम अधिनियम अधिनियम अधिनियम</p>	

सहायक जिलाधिकारी, साचौर  
 (उपखण्ड अधिकारी साचौर)

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हु</p>
	<p>पता पत्र के क्रम: निवेदन है कि उक्त 03/2025 बख्तवान चणवी देवी बनाम काबला वगैरे में पालि एक्स्प्रेस आदेश निर्दिष्ट दिनांक 22.04.2025 म-पूषण प्रार्थना को अलग पक्ष रखने का आदेश उदात्त इतिवत्।</p> <p>अपेक्षित प्रार्थना ने उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 भाग अपेक्षित का पत्र व निवेदन दिया कि उक्त दिनांक - 03/2025 चणवी देवी बनाम काबला वगैरे में तमाम नकलें प्राप्त की जा प्रार्थना को दिनांक 16.06.2025 को मिली थी तब यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत पत्र के अन्तर्गत प्रस्तुत दिनांक 22.04.2025 को एक्स्प्रेस डिडी द्वारा की गई है जिसकी जानकारी प्रार्थना को दिनांक 16.06.2025 को देने पर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 भाग अपेक्षित का पत्र व क्रम: निवेदन है कि उक्त दिनांक - 03/2025 बख्तवान चणवी देवी बनाम काबला वगैरे में पालि एक्स्प्रेस आदेश निर्दिष्ट दिनांक 22.04.2025 पालि किया है जिसकी जानकारी तारीख से अन्तर्गत पत्र के हैं क्रम: जानकारी तारीख से अन्तर्गत पत्र के हैं।</p> <p>प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 भाग अपेक्षित या 'तुना जमा' प्रार्थना को एक्स्प्रेस आदेश बख्तवान प्रार्थना-पत्र धारा 5 भाग अपेक्षित में (बीना) प्रेषित देने से स्वीकार किया जाये हुडा देवी को साम्य किया जाता है।</p>	

सहायक (अपेक्षित) सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

क्र. सं. 06/2025

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख में  
जारी हुए।

जुआरीना-पग इन्तर्नि आदेश 3 दिनांक 12 फी.  
 जी. सी. पी. इन्फोर्मेशन को जून जमा। जज  
 पग जयप्रिय लीना दिनांक 12 फी. राजस्थान  
 वाद लेखन- 03/2025 बख्तवाज पंचमी देवी  
 बगम काबला वगैरे में पाए एकपक्षीय  
 कार्यवाही दिनांक 22.04.2025 एवं जयप्रिय  
 डिडी निर्दिष्ट दिनांक 22.04.2025 को अर्पण  
 दिनांक 12 फी. लीना दिनांक 12 फी. जज  
 अर्पण वास्तु रूपक से लहरि जारी  
 है। राजस्थान वाद लेखन 03/2025 बख्तवाज  
 पंचमी देवी बगम काबला वगैरे की पूरा  
 फावली को जून: जयप्रिय डिडी को जून जमा  
 देह आदेश दिए जाते हैं।

फाजली फैजल शुभा

कोमा नंबर दे-ख इस की जमा दाजिल  
दस्ता है।

  
 सहायक जज, सांचौर  
 (उपखण्ड अधिकारी सांचौर)